मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(अपील क्रमाँक ए–169)

श्री मनोज जोगी, **अपीलार्थी**
पूर्व पार्षद, नगर पालिका,
बैतूल

विरूद्ध

श्री संदीप श्रीवास्तव, **लोक सूचना अधिकारी,**
नगर पालिका
बैतूल

आदेश
(दिनांक 22 जून 2006)

यह अपील श्री मनोज जोगी, पूर्व पार्षद, बैतूल ने लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 11.11.2005 एवं अपीलीय अधिकारी, उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के आदेश दिनांक 04.01.2006 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता का यह कहना है कि उसने कतिपय बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैतूल से अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जानकारी चाही थी । लेकिन उन्हें अपूर्ण, भ्रामक एवं जानबूझकर गलत जानकारी दी गयी है । अपीलकर्ता ने अपने आवेदन के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र, लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया था उसकी प्रति नहीं लगाई है । इस प्रकरण से अपील बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि उन्होने जानकारी अपीलकर्ता को दिनांक 11.11.05 को प्रदत्त कर दी थी । उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्ता ने अपने अपील ज्ञापन में यह कहीं भी नहीं दर्शाया है कि उनके द्वारा प्रदत्त जानकारी किस प्रकार से अपूर्ण, गलत या भ्रामक है ।

2. अपीलीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अपीलकर्ता का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया था, कि अपील ज्ञापन के साथ शासन द्वारा निर्धारित 50/– रूपये का शुल्क नहीं दिया गया था और न ही इस राशि के नान–ज्यूडिशियल पेपर संलग्न किये गये थे। अपीलकर्ता ने अपने ज्ञापन में यह भी अंकित नहीं किया है कि वह गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति है, इसलिये उनका आवेदन पत्र निरस्त किया गया था ।

3. इस विषय में अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को दिनांक 20.06.06 को सुना गया । इस सुनवाई के समय अपीलकर्ता ने कहीं भी यह नहीं दर्शाया है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो जानकारी उनके द्वारा मांगी गई थी, वह अपूर्ण, भ्रामक या गलत

..2..

है। यद्यपि अपीलकर्ता ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन की प्रति अपील के साथ नही लगाई गई थी, फिर भी लोक सूचना अधिकारी से उसकी प्रति प्राप्त की गई । इस प्रति को देखने से स्पष्ट है कि, अपीलकर्ता ने बिन्दुवार लगभग 30 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी और इन्हें समूहो में विभाजित किया था। लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 11.11.05 को अपीलकर्ता को बिन्दुवार जानकारी प्रदत्त कर दी थी । अपीलकर्ता ने अपने अपील ज्ञापन में यह नहीं दर्शाया है कि किस बिन्दु पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक, अपूर्ण या गलत है। सुनवाई के समय भी उन्होने यह स्पष्ट नहीं किया है, कि किस बिन्दु पर कौन सी जानकारी, जो लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की है वह गलत, भ्रामक या अपूर्ण है। अपीलकर्ता को इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देना चाहिये था किस आधार पर उन्होने प्रस्तुत की गयी जानकारी को भ्रामक, गलत एवं अपूर्ण कहा है । ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई आधार नहीं है।

4. अतः यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
22 जून 2006